संख्या-7/2021/2/1/97/का-2/2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 09 दिसम्बर, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-''ग" और समूह-''घ" के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के नियम-6(1) के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-''ग" और समूह-''घ" के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के नियम-5 एवं नियम-6(1) में निम्नवत् व्यवस्था है-

नियम-5- नियम-2 को उपबन्धों के अध्याधीन इस नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जायेगा।

नियम-6(1) - किसी व्यक्ति को-

6(1)- Any person who-

(एक)- जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह"ग" और समूह-"घ" के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-''ग" और समूह-''घ" के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्रविधानों के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण हेतु वही व्यक्ति पात्र होगा जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह"ग" और समूह-"घ" के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक मजदूरी या कार्य-

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरंतर लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2021/2/1/97(1)/का-2/2021-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार
संयुक्त सचिव।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।